न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 11/2025

श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी शिवाजी कॉलोनी, गली न. 17 निवाई तहसील निवाई जिला टोंक।

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांकः—19.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

खसरा न. 1/1, 1/8, 10/1,10/2, 13/16, 15/2, 16/3, 3, 35, 5, 6/1, 6/2, 66/15 सम्वत 2056—2059 खाता संख्या नया 27 पुराना 25 उक्त खसरों का बंटवारा पत्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 196 दिनांक 11.02.2025, 319 दिनांक 27.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 311 दिनांक 11.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अस्पष्ट है कि प्रार्थी किस ग्राम, शहर के खसरा नम्बरान की सूचना चाहता है, इस बाबत अपीलार्थी को पत्र कमांक 312 दिनांक 11.03.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक